न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई जिला

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 237/2020

1. हरजी पुत्र स्व. श्री ज्ञाना जाति भांभी आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
2. रतना पुत्र स्व. श्री ज्ञाना जाति भांभी आयु 63 वर्ष निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती ग्यारसी पत्नी स्व. श्री हजारी जाति भांभी आयु 67 वर्ष
2. सूरजकरण पुत्र स्व. श्री हजारी जाति भांभी आयु 45 वर्ष
3. तेजू पुत्र स्व. श्री हजारी जाति भांभी आयु 42 वर्ष
4. काना पुत्र स्व. श्री हजारी जाति भांभी आयु 37 वर्ष
5. बाबू लाल पुत्र स्व. श्री हजारी जाति भांभी आयु 28 वर्ष अप्रार्थी संख्या 1 से 5 महावीर कॉलोनी, सांवतसर मदनगंज–किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
7. उप पंजीयक, किशनगढ (अजमेर)

..... अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित वकील प्रार्थीः– श्री गणेश राम बावरी

वकील अप्रार्थी :– एकपक्षीय

दिनांक 28.04.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गणेशराम बावरी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में आज एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी आशा है। उक्त वाद के विचारण एवं निस्तारण में अनिश्चित समय लगेगा इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ग्राम रलावता के स्थाई निवासी है जिनका मुख्य पेशा कृषि कार्य है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ग्राम रलावता के वादग्रस्त खसरा नम्बर 31 की कुल 20 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त 2/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का संयुक्त 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई चाह (कुआ) स्थित नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर केवल खरीफ की फसल ही काश्त होती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार न्यायालय से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के मध्य प्रतिवर्ष खरीफ की फसल काश्त करने/काटने में विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाऊण्डस विभाजन किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि का पृथक से खसरा नम्बर, खाता नम्बर व लगान कायम किया जा-

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू भाग को कब्जे काश्त के आधार पर विक्रय करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। विधि के प्रावधान अनुसार प्रत्येक सह कृषक का प्रत्येक इंच पर बराबर बराबर हक व अधिकार रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को वादग्रस्त संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि के विशिष्ट भू भाग को विक्रय करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त भूमि के विधि अनुसार विभाजन से पूर्व किसी विशिष्ट भू भाग का किसी भी व्यक्ति को अन्तरण नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त भूमि के किसी विशिष्ट भू भाग का विक्रय पत्र किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नहीं करे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन किये जाने हेतु दिनांक 30.9.2020 को आग्रह किया तो अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने विभाजन हेतु स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी कि हमें कब्जे काश्त के आधार पर भूमि को विक्रय करने का अधिकार है जिसमें बाधा कारित की तो गम्भीर परिणाम हो सकते है। इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का किसी भी व्यक्ति को मूल वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 7 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि का कोई अन्तरण किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नहीं करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2021 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन करवाई गई। दिनांक 13.06.2022 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 10.02.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 10.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 06 , 07 का जवाब बन्द किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 05 सहखातेदार है एवं धारा 53 के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार का वादअधीन भूमि के प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है, जिससे प्रथम दृष्टय प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– :– वादअधीन भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 05 सहखातेदार है जो कि वादअधीन भूमि पर काबिज काश्त है, जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में सहखातेदार है, सहखातेदारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर अपूरणिय क्षति अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को कारित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़